राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 49/2025

श्रवण कुमार बामणिया **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला निर्वाचन अधिकारी(कलेक्टर), पाली।
4. निदेशक माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, पाली।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, रोहट, जिला पाली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 21.01.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री रतन अंकिया, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी विभाग की ओर : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक लेवल द्वितीय (सामाजिक विज्ञान) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आरतीया, ब्लॉक, रोहट जिला पाली में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.12.2024 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अकाड़वास ब्लॉक रानी जिला पाली तथा संशोधित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंदरवाड़ा, ब्लॉक रानी जिला पाली में अपीलार्थी को अधिशेष घोषित करते हुए जारी किया गया है। जबकि अपीलार्थी नियमित कार्मिक है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थनान्तरण अध्यापक ग्रेड–III लेवल–II से लेवल–I के पद पर बिना मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए किया गया है। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के परिपत्र दिनांक 03.01.2023 के दिनांक 15.01.2023 के द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानन्तरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रतिबंध

अवधि में किया गया है, जो अवैध एवं अनुचित है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.12.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को निरन्तर वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना की है अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य